13 यूनियन नेताओं को उम्रकैद के फैसले के एक साल बाद - मारुति आज

रवींद्र गोयल

हरियाणा के, मानेसर, इलाके में कार्यरत, जापान के सुजुकी समूह की साझेदारी में चलने वाली मारूति कार फैक्ट्री कई मायनों में अव्वल है। यह कंपनी भारत में सबसे ज्यादा कार बनाती है। देश के कार बाजार की 50. 4 फीसदी मांग को यह कंपनी पूरा करती है। साल 2016- 2017 में कंपनी ने 15,68,000 कार बनायीं. इस साल कंपनी का मुनाफा 7300 करोड़ रुपये से ऊपर था। मारूति की फैक्ट्री दुनिया की अत्याआधुनिक तकनीक से चलने वाली फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में 51-52 सेकंड में एक कार बनायी जाती है।

दुनिया के पैमाने पर मारूति फैक्ट्री सबसे शोषणकारी औद्योगिक संबंधों का अग्रणी उदहारण है। लेकिन सभी बड़ी यूनियंस जैसे एटक, सीटू, एचएमएस, बीएमए, इंटक आदि के समर्थन न देने के बावजूद तथा विदेशी पूँजी को देश की समस्याओं का राम बाण हल मानने वाली सभी बढ़ी राजनितिक पार्टियों के विरोध के बावजूद मारूति मजदूर पिछले 6-7 सालों से आंदोलन चला रहे हैं जो उत्तरोत्तर मजबूत हो रहा है।

मारुति की मानेसर फैक्ट्री में प्रशासन और मजदूरों के बीच विवाद जून 2011 से ही चल रहा था। विवाद का विषय पहले था स्वतंत्र यूनियन बनाने का अधिकार और 1 मार्च 2012 को यूनियन के रजिस्टर हो जाने के बाद 13 सूत्री मांगपत्र पर प्रशासन से यूनियन की बात चीत चल रही थी। मारुति में जारी ठेका प्रथा का अंत और ठेका मजदूरों को नियमित करना यूनियन की मुख्य मांगों में से एक थी। 18 जुलाई 2012 की सुबह जियालाल नामक मजदूर और एक सुपरवाइजर के बीच विवाद हुआ था जिसमें प्रशासन ने जियालाल को निलंबित कर दिया। यह सब उस समय हुआ जबकि मजदूर नेता कुछ पुराने मुद्दों के संबंध में प्रबंधन के साथ बैठक कर रहे थे। जब निलंबन की खबरें यूनियन तक पहुंची तो उन्होंने मांग की कि निलंबन रद्द किया जाये। मजदूरों के अनुसार, उस दिन परिसर में कंपनी ने कई बाउंसर (भाड़े पर बुलाये गए मार पीट करने वाले पहलवान) भी तैनात किए थे और बातचीत के वक्त प्रशासन ने पुलिस भी बुला ली थी।

निलंबन को रद्द करने के सवाल पर प्रशाषन के टाल मटोल के कारण, तनाव बढ़ता गया। उसके बाद हुए हाथापाई में, कुछ प्रशासन कर्मी और मजदूरों को चोटें आयी। इस बीच कार्यालय में आग लग गयी और सांस के घुटने के कारण एक एचआर प्रबंधक श्री अविनाश देव की दु:खद मृत्यु हो गयी। इसी घटना को लेकर चले केस **(स्टेट एवम रामे मेहर)** में 18 मार्च 2017 को दिए गए अपने निर्णय में, गुडगाँव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज श्री आरपी गोयल ने 148 आरोपियों में से 117 को बाइज्जत बरी कर दिया गया।

13 आरोपियों को हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गयी, 4 आरोपियों को हिंसक प्रवेश के जुर्म में 5 साल की जेल की सजा दी गयी तथा शेष 14 आरोपियों को गंभीर क्षति पहुँचाने का दोषी पाया गया, लेकिन चूँकि वो पहले से जेल में रहते हुए अपनी सजा काट चुके थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। तेरह मजदूर जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है उनमें से बारह मारुति मानेसर की यूनियन के पदाधिकारी सदस्य है (राम मेहर, संदीप ढिल्लों, रामविलास , सरबजीत सिंह , पवन कुमार , सोहन कुमार , प्रदीप कुमार , अजमेर सिंह , जिया लाल , अमरजीत कपूर, धनराज भाम्बी, योगेश कुमार और प्रदीप गुज्जर) तथा तेरहवां आदमी जिया लाल है जिसका 18 जुलाई 2012 कि सुबह एक सुपरवाइजर के साथ विवाद हुआ था।

इस केस का फैसला न्याय/ कानून पर आधारित न होकर सरकार की हर शर्त पर विदेशी पूँजी को बुलाने और उन्हें मुनाफे की खुली छूट देने की नीति पर आधारित है। लोहिया के शब्दों में- कानून व्यक्ति की पसंद- नापसंद पर मुनहसिर है, न कि न्याय की मर्यादा पर। इसी सच को विस्तार से विश्लेषित करते हुए इस अन्यायपूर्ण फैसले की पहली बरसी के अवसर पर पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने अपनी रिपोर्ट 'Pre-Decided Case: A Critique of the Maruti judgment of 2017' जारी की है।

यह रिपोर्ट जांच की प्रकृति, मुकदमे की प्रक्रिया और अभियोजन पक्ष की नीयत के बारे में सवाल उठती है. साथ ही साथ रिपोर्ट न सिर्फ मारुति के श्रमिकों के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग में श्रमिकों के लिए बल्कि देशव्यापी स्तर पर मजदूरों के अधिकारों और संघर्षों के सम्बन्ध में फैसले के गंभीर प्रभाव की विवेचना करती है। 2017 के फैसले के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से इस रिपोर्ट ने दर्शाया है कैसे न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन कर, अपराधी को अपराध से जोड़ने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता का उल्लंघन कर यह फैसला कंपनी के इशारे पर पूंजी की सेवा में सक्रिय और मुखर श्रमिकों को दोषी ठहराता है।

रिपोर्ट मांग करती है कि

1) दोषी कर्मचारियों को तत्काल रिहा किया जाए तथा एक ताजा, निष्पक्ष, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण जांच द्वारा केस की फिर से सुनवाई हो।

2) श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों के लिए संगठित होने और उनके लिए संघर्ष करने के अधिकार को राज्य तथा उद्योग द्वारा स्वीकार व संरक्षित किया जाए।

इस साल 18 मार्च को गुडगाँव में मारुति मजदूर और उनके समर्थक साथियों ने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। प्रदर्शन के बाद यूनियन के हालिया चुनाव में जीते अध्यक्ष श्री अजमेर सिंह यादव से फैक्ट्री और मानेसर में औद्योगिक संबंधों, मजदूरों की मांगें, मालिकों का रवैय्या, मजदूर आन्दोलन की चुनौतियाँ, उनकी यूनियन की आने वाले समय में प्राथमिकताओं आदि कई सवालों पर बातचीत हुई। बातचीत का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

प्रश्न - आप की टीम इस बार दोबारा चुनाव जीत कर आई है। मैनेजमेंट ने आप के रास्ते में क्या रोड़े खड़े किये और आप अपने पैनल की जीत के कारणों पर कुछ बताइए ?

उत्तर- हमारी टीम दोबारा जीत कर आई है तो इसका मुख्य कारण है कि हमने मजदूर साथियों की समस्याओं को मुस्तैदी से हल करने का प्रयास किया है। अपने गिरफ्तार साथियों की मदद के लिए सक्रिय प्रयास किये हैं , उनकी आर्थिक मदद के लिए और कानूनी मदद के लिए वर्तमान मजदूरों से सहयोग राशि इकठ्ठा की है। बेशक हमारे चुनाव में केवल परमानेंट वर्कर ही वोट देते हैं पर हमें सभी किस्म के मजदूर साथियों का सहयोग प्राप्त है और हम उनकी समस्याओं के लिए भी काम करते हैं। मैनेजमेंट ने जरूर हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए अब ठेका मजदूरों की जगह करीबन 5000 टेम्पोरेरी वर्कर्स को भरती किया है जो केवल 7 महीने के लिए दो बार भारती किये जा सकते हैं। उनको चूँकि परमानेंट नहीं किया जाना है इसलिए वो अब पहले के ठेका मजदूरों की तरह सक्रिय नहीं हैं। मैनेजमेंट ने हमारे बारे में मिथ्या प्रचार भी किया की ये यूनियन वाले काम से निकलवा देंगे, हड़ताल करवा देंगे आदि आदि। लेकिन मजदूरों ने उनके षडयंत्र को समझा और हमारा समर्थन किया। यही हमारी जीत का कारण है और मैं अपने पैनल के साथियों की तरफ से सभी मजदूर साथियों का धन्यवाद करता हूँ।

प्रश्न - गुडगाँव में कुछ समय से एक जुमला चलन में आया है 'मारुति बना देंगे ' इसका क्या मतलब है?

उत्तर- पिछले कुछ समय से, खास कर 2017 के मारुति केस के फैसले के बाद, इस क्षेत्र में जहाँ भी मजदूर सर उठा कर विरोध करते हैं यह मैनेजमेंट और उनके दलालों का प्रिय वाक्य बन गया है। इसमें वो धमकी है की यदि बाज नहीं आये तो मारुति के मजदूरों जैसा हाल कर देंगे। लेकिन यह भी सही है की मजदूरों की बढती एकता के सामने यह वाक्य अब मजदूर साथियों के लिए मारुति मजदूरों के लम्बे संघर्ष का भी प्रतीक बन गया है और मजदूर साथियों को अपने हकों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है, हौसला देता है, जोश देता है।

प्रश्न-पिछले साल का फैसला मालिकों की जीत थी। उसके चलते आपके काम के हालात पर क्या असर पड़ा है । मानेसर गुडगाँव बेल्ट में मजदूरों पर क्या असर पड़ा है ?

उत्तर- यह सही है की पिछले साल का फैसला, हमारे 31 साथियों को सजा और 13 मजदूर नेताओं को उम्रकैद मालिकों की जीत थी और उस फैसले ने मानेसर के इलाके में मालिकों के हौसलों को बुलंद किया है। वर्तमान में मारुति मैनेजमेंट इस क्षेत्र में मजदूरों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के लिए, पहले, मारुति अपनी विक्रेता कंपनियों को समय पर कामगारों की हड़ताल के कारण माल ने दे पाने पर दंडित करती थी। अब मारुति प्रबंधन स्ट्राइक को तोड़ने के लिए विक्रेता कंपनी की सहायता कर रही है। पीयूडीआर की ताजा रिपोर्ट में यह भी हवाला है की कंपनी पुलिस को कार, भोजन, फर्नीचर आदि की आपूर्ति भी करती है। लेकिन पहले के संघर्षों के चलते मजदूरों ने भी नई ताकत हासिल की है। इस इलाके में कई फैक्टरियों में नई यूनियन बनी हैं। मारुति सुजुकी की अन्य कंपनियों के साथ मिलकर मारुति सुजुकी मजदूर संघ बना है। इस महा संघ में सुजुकी बाइक, बेल्सोनिका, एफएमआई, मारुति पावर ट्रेन, मारुति गुड़गांव, मारुति मानेसर कंपनियां शामिल हैं। कंपनी के स्तर पर भी कंपनी ने परमानेंट और ठेका मजदूरों की एकता को तोड़ने के लिए कई कदम उठाये हैं लेकिन काम का दबाव पहले से कम हुआ है। मजदूरी में बढ़ोत्तरी हुई है। उत्पादन के टारगेट पहले की तरह मनमाने तरीके से नहीं तय किये जाते। मजदूरों को भी निर्धारित समय के बाद रोका नहीं जाता. बाउंसर (भाड़े पर बुलाये गए मार पीट करने वाले पहलवान) का आतंक भी कम हुआ है।

प्रश्न- आपने जो 2017 के फैसले के खिलाफ अपील की थी उसकी क्या स्थिति है ?

उत्तर- हमने उस फैसले के खिलाफ अपील की है क्योंकि वो फैसला कानून पर आधारित कम और मजदूरों को सबक सिखाने की नीयत का नतीजा ज्यादा है। अब नतीजा क्या निकलता है यह तो आगे ही पता चलेगा। हमारे वकीलों ने 3 साथियों की जमानत की एप्लीकेशन भी लगायी है और उसके फैसले के बाद और साथियों की जमानत की एप्लीकेशन भी लगायेंगे। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक साथियों की जमानत हो सकती है।

प्रश्न- मारूति मैनेजमेंट ने भी केस किया है वो क्या मांग रहे हैं ?

उत्तर - मैनेजमेंट ने जो 117 साथी पिछले फैसले में बरी किये गए थे उनको सजा दिलवाने के लिए केस किया है। क्योंकि हमारी मांग है की उन बेकसूर साथियों को तो काम पर रखा जाये। मैनेजमेंट उन साथियों का कम पर रखना नहीं चाहती इसीलिए उन्होंने यह केस किया है। पर हमारी समझ है कि वो केस बेबुनियाद है और मैनेजमेंट उसमें हारेगी।

प्रश्न- आपने पिछले साल गिरफ्तार साथियों के लिए आर्थिक मदद जुटाई थी उसके बारे में बताएं ?

उत्तर- पिछले साल हमने 8150000 रुपया अपनी फैक्ट्री, बेल सोनिका और सनबीम कंपनी के मजदूर साथियों के सहयोग से इकठ्ठा किया। उसमें से साढ़े पांच लाख प्रति परिवार के हिसाब से 13 उम्र कैद के सजा पाए साथियों के परिवार को दिया गया। 10 लाख रुपया हमने कानूनी खर्चों के लिए रखा है। सब मजदूरों ने उत्साह के साथ मदद की और मेरा विश्वास है कि साथी भविष्य में भी मदद के लिए आगे आयेंगे।

प्रश्न - अगले साल की अपनी तीन मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में बताइए ?

उत्तर हमारी अगले साल की तीन मुख्य प्राथमिकतायें इस प्रकार होंगी। सबसे पहले तो इस साल मैनेजमेंट से हमारा समय समय पर होने वाला सेटलमेंट आने वाला है। उसे मजदूरों के हित में अच्छा से अच्छा करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि मजदूरी में बढ़ोतरी हो, परमानेंट मजदूरों की संख्या बढाई जाये और जो अन्य मजदूर हैं उनकी काम की हालत में सुधार हो। दूसरे जो हमारे 13 साथी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं उनकी सजा गैर वाजिब और गैर कानूनी है। उसे खत्म करवाने की हम न्यायिक और अन्य दबाव आदि द्वारा पूरी कोशिश करेंगे। और अंतरिम समय में उनके परिवारों की हर संभव मदद की कोशिश करेंगे। तीसरे जिन साथियों को 2017 के फैसले में निर्दोष पाया गया था उन्हें कंपनी में तुरत बहाल किया जाये और साथ ही साथ 2012 की घटना के बाद जो करीबन 2500 परमानेंट और ठेका मजदूरों को बिना इन्क्वारी के निकला गया है उनको भी न्याय मिले।

प्रश्न - आप अपने कामों में बाहर के अन्य तबकों से क्या उम्मीद करते हैं वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं. ?

उत्तर- पिछले सालों में हमें समाज के अन्य हिस्सों का समर्थन मिला है और मारुति के सभी मजदूर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिलहाल व्यापक समाज से हम तो उम्मीद करते हैं। पहला तो जो मजदूर उनके लिए कार बनाते हैं उनकी मांगों को हमदर्दी से समझे और जहाँ तक संभव हो सके उनकी मांगों का समर्थन करें। और दुसरे हमारे जो 13 साथी। बिना किसी कानूनी औचित्य के, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उसे रद्द कराने में हमारी मदद करें। उनके परिवारों की आर्थिक मदद करने में हमारी सहायता करें। जो भी साथी मदद करना चाहें वो मारुति फैक्ट्री में मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **5 ई-18 नरेन्द्र बुक सेन्टर - 9810229192**
5. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
6. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
7. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
8. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**
9. **सिंगला मेडिकल स्टोर, जवाहर कॉलोनी, डिस्पोजल चौक**
10. **आरसीएम स्टोर, बाबा बालकनाथ मंदिर वाली गली, जवाहर कालोनी, फ़रीदाबाद**

डाक से मजदूर मोर्चा मंगवाने वाले पाठकों से अनुरोध

डाक द्वारा मजदूर मोर्चा प्राप्त करने वाले स्थानीय पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रति प्राप्त करने के लिए अपने हॉकर से सम्पर्क करें, क्योंकि 12 फरवरी से साप्ताहिक होने केपश्चात- अखबार को डाक द्वारा भेजना संभव नहीं हो पा रहा है।

नगर निगम ने बजीदा रोड पर चलाया पीला पंजा, गरीबों के आशियानों को तोड़ा

करनाल, (प्रवीण कुमार) - नगर निगम द्वारा सीएम सिटी में पीला पंजा चलाए जाने की कार्यवाही के कारण एक बेटी की सभी किताबे व अन्य पढाई का सारा ही सामान मलबे में ही दब गया। उसे कल ही अपने स्कूल की परीक्षा देनी थी।

नगर निगम ने पिछले करीब आठ दिनों में दूसरी बड़ी कार्यवाही करते हुए बजीदा रोड पर स्थित नई सब्जी मंडी के नजदीक पीला पंजा चलाया। यह पंजा किसी बडे घराने व संस्थान पर नही बल्कि गरीबों के आशियानों पर चलाया गया। हालांकि नगर निगम शहर मे से अतिक्रमण हटाने व अवैध कालोनियों को रोकने के लिए पीला पंजा चलाए जाने के दावे तो कर रहा है लेकिन आज चले पीले पंजे ने केवल गरीब लोगों को ही निशाना बनाया है।

हैरान जनक पहलू तो यह है कि शहर में प्रमुख बाजारों व अन्य स्थानों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को आम ही देखा जा सकता है जिससे लगता है कि नगर निगम अपनी आंखें मुंदे बैठा है। यहां तक कि करनाल दुपट्टा मार्किट में दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे फड़ वालों को सड़कें बेच डाली हैं। उनसे मोटा किराया वसूला जाता है । हैरानी को बात तो ये है, फड़ वालों ने खादी भण्डार की दीवार के साथ भी पूरी सड़क घेर कर आने जाने का रास्ता तंग किया हुआ है । परन्तु नगर निगम को यह इन्क्रोचमैन्ट दिखाई नही देती क्योंकि फड़ वाले नगर निगम अधिकारीयों को मासिक बन्धेज देते आये हैं।

उल्लेखनीय है कि करीब 8 दिन पूर्व भी नगर निगम ने आरके पुरम पार्ट 2 में पीला पंजा चलाया था तो उस दौरान क्षेत्र के वार्ड नंबर दो के पार्षद बलविंद्र सिंह ने प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर नगर निगम व जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। अब फ़िर एक ओर कार्यवाही कर नगर निगम फिर चर्चाओं में आ गया हैं।